रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 974] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2012/ज्येष्ठ 3, 1934

No. 974] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2012/JYAISTHA 3, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2012

का.आ. 1178(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2701 (अ), तारीख 2 नवम्बर, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 40/000 कि. मी. से 85/600 कि.मी. (तिंदिवनम–कृष्णागिरि सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 3 दिसम्बर, 2010 को "दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस" और "दिनामणि" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और जिंजी टाउन के एक थीरू वी. रंगानाथन ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की रिट याचिका सं. 15780 दायर की जिसमें उन्होंने दिनांक 2 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2701 (अ) के सार, और दिनांक 21 मई, 2011 के पत्र संख्या भाराराप्रा/पीडी/वीपीएम/टीडीएम–के–गिरि/एलए/2011/625 में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विल्लुपुरम द्वारा आक्षेप याचिका पर दी गई तकनीकी राय को चुनौती दी । माननीय उच्च न्यायालय ने परियोजना निदेशक के दिनांक 21 मई, 2011 के पत्र संख्या भाराराप्रा/पीडी/वीपीएम/टीडीएम–के–गिरि/एलए/2011/625 के विरूद्व रिट याचिका सं. 15780/2011 में 2011 के एम.पी. 2 में दिनांक 1 जुलाई, 2011 के अपने आदेश में "अंतरिम व्यादेश" प्रदान किया । तदुपरांत, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23/11/2011 के अपने आदेश में याचिकादाता को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अपने आक्षेप के साथ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) और विशेष जिला राजस्व अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, विल्लुपुरम तक पहँच करने की छूट देते हुए उपर्युक्त रिट याचिका का निपटान कर दिया और सक्षम प्राधिकारी

भूमि अर्जन को निदेश दिया कि वह याचिकादाता के आक्षेप और प्रथम प्रतिवादी (परियोजना निदेशक, भाराराप्रा, विल्लुपुरम) द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करते हुए चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करे । न्यायालय के निर्देश के आधार पर, याचिकादाता थीरू वी. रंगानाथन ने 9/1/2012 को सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन के समक्ष अपना आक्षेप प्रस्तुत किया । परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विल्लुपुरम को आक्षेप याचिका की एक प्रति दी गई और आक्षेपों पर उनका दिनांक 2/2/2012 का उत्तर याचिकादाता को दिया गया । 13/02/2012 को व्यक्तिगत रूप से उनकी सुनवाई की गई । आक्षेपों और परियोजना निदेशक के उत्तरों पर विधिवत् रूप से विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन ने दिनांक 24/02/2012 की कार्यवाहियां ए/एसडीआरओ/एलए/एनएच66/958/2010–2 में आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया ।

और याचिकादाता थीरू वी. रंगानाथन को उनके आक्षेपों पर विचार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया है ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के विल्लूपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 40.000 कि.मी से 85.600 कि.मी तक (तिंदिवनम - कृष्णागीरि सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गॉव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
				उप विभाजन से पहले	उप विभाजन से बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	विल्लूपुरम	सेंजी	सिरुकदम्बुर	113/2ए	113/2ए2	निजी	नम	286	रंगानाथन पुत्र वरधाराजा नैनार
				113/3	113/3बी	निजी	नम	1058	1. रंगानाथन पुत्र वरधाराजा नैनार
									2. नीलाकान्दा मुदलियार पुत्र मुरुगेशन
									3. बाबु पुत्र पेरुमल नैनार

1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	विल्लुपुरम	सेंजी	सिरुकदम्बूर	128/2ए	128/2ए2	निजी	शुष्क	3418	1. रंगानाथन पुत्र वरधाराजा नैनार
									2. करतुरी पुत्री वरधा नैनार
									3. गांधीमती पुत्री वरधा नैनार
									4. अमुथा पुत्री वरधा नैनार

[फा. सं. भाराराप्रा-मुआ/11013/2011-एलए/नोटिफ/पीआईयू-विलुपुरम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2012

S.O. 1178(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2701 (E), dated the 2nd November, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.66 on the stretch of land from Km. 40/000 to Km.85/600 (Tindivanam - Krishnagiri Section) in District Viluppuram in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in **"The New Indian Express"** and **"Dinamani"** both dated the 3rd December, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas one Thiru.V.Ranganathan of Gingee Town filed W.P. No. 15780 of 2011 before the Hon'ble High Court of Judicature at Madras, challenging the publication of substance of notification number S.O.2701(E), dated the 2nd November, 2010, and the technical opinion offered by PD, NHAI, Viluppuram, on the objection petition in his letter no NHAI/PD/VPM/Tdm-K'Giri/LA/2011/625, dated the 21st May, 2011, the Hon'ble High Court in their order dated 01st July 2011 in M.P.2 of 2011 in

W.P.No.15780/2011 granted "interim injunction" against the Project Director letter No. NHAI/PD/V.PM/Tdm-K'Giri/LA/2011/625 dates 21st May 2011. Subsequently in its order dated 23.11.2011, the Hon'ble High Court disposed of the above W.P. giving the petitioner liberty to approach the Competent Authority (Land Acquisition) and Special District Revenue Officer, National Highways, Viluppuram with his objection within a period of two weeks from the date of receipt of copy of the order and directed the CALA to pass appropriate orders within a period of four weeks thereafter considering the objection of the petitioner, viz-a-viz, the reply given by the first respondent (Project Director, NHAI, Viluppuram). Based on the court direction, the petitioner Thiru.V.Ranganathan preferred his objection before the CALA on 09.01.2012. The Project Director, NHAI Viluppuram was furnished with a copy of the objection petition and his reply on the objections dated.02.02.2012 was served on the petitioner. He was heard in person on 13.02.2012. After due consideration of the objections and replies of the Project Director, the objections were disallowed by the Competent Authority (Land Acquisition) in proceedings A/SDRO/LA/NH66/958/ 2010-2 dated.24.02.2012

And whereas, the petitioner Thiru.V.Ranganathan. has been offered an opportunity of hearing before the competent authority for consideration of his objections;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling with-in the stretch from Km.40/000 to Km.85/600 (Tindivanam - Krishnagiri section) on the National Highway No 66 in Viluppuram District in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the person interested
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Viluppuram	Gingee	Sirukadambur	113/2A	113/2A2	Private	Wet	286	Ranganathan S/o.Varadharaja Nainar
				113/3	113/3B	Private	Wet	1058	1) Ranganathan S/o.Varadharaja Nainar 2) Neelakanda Mudaliyar S/o Murugesan 3) Babu S/o Perumal Nainar
				128/2A	128/2A2	Private	Dry	3418	1) Ranganathan S/o. Varadharaja Nainar 2) Kasturi D/o Varadha Nainar 3) Gandhimathi D/o Varadha Nainar 4) Amutha D/o Varadha Nainar

[F. No. NHAI-HQ/11013/2011-LA/Notif./PIU-Villupuram]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

1852 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.